I/2385/2024

I/2385/2024

सत्यमेव जयते

संख्या– 2385 /जी0एस0(शिक्षा)/**A4-168**/2021

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 14 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2024

महोदय,

कृपया वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के पत्र संख्या–2091 एवं पत्र संख्या–2092 दिनांक 02 सितम्बर, 2023 तथा पत्रांक–2931 दिनांक 04 नवम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
चमनलाल लॉ कॉलेज, लण ढौरा–रूड़की, हरिद्वार।	एल0एल0बी0 (3 वर्षीय)	120	2022–23
	बी0ए0एल0एल0बी0 (5 वर्षीय)	120	
	एल0एल0एम0 (1 वर्षीय)	30	

(1) प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत संस्थान से शैक्षिक सत्र 2025–26 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 14/10/2024 01:57 pm

I/2385/2024

I/2385/2024

Signed by Swati S Bhadauria
Date: 11-10-2024 13:21:17

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या– (1) / जी0एस0(शिक्षा) / **A4-168** /2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जी0डी0 नौटियाल)
उपसचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 14/10/2024 01:57 pm